राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) 2024/93

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111 – 128 प्रार्थना पत्र	42/24	27/2/2024		9/4/2024 2/4/2024

अनवान

श्री सुरेश S/o जीतमल जाति धाकड़

निवासी खलावरीया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

श्री नानालाल S/o बालु जाति धाकड़

निवासी खलावरिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

सुरेश बनाम नाथालाल

किस्म मुकदमा – 111 – 128 नम्बर 42 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2 /2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 2/5/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
2/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 4/5/24 को वास्ते नि०रि० पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
4/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाडा)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 42/2024 दिनांक 27/02/2024

1. सुरेश पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. सुशीलादेवी पत्नि लादुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. सीतादेवी पत्नि रूगलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. नानालाल पिता बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. घनश्याम पिता गोपाल सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : – दिनांक 04/04/2024

प्रार्थना पत्र हम सुरेश पिता जीतमल, सुशीलादेवी पत्नि लादुलाल, सीतादेवी पत्नि रूगलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 428 पर अंकित आराजी नम्बर 934/1 934/2, 934/3, 934/4 कुल किता 04 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किय मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 428 पर अंकित आराजी नम्बर 934/1 934/2, 934/3, 934/4 कुल किता 04 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –42/2024

दिनांक :–27/02/2024

प्रेषिति –

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 42/2024 पत्थरगढी बाबत् ।

1. सुरेश पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. सुशीलादेवी पत्नि लादुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. सीतादेवी पत्नि रूगलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. नानालाल पिता बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. घनश्याम पिता गोपाल सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 428 पर अंकित आराजी नम्बर 934/1 934/2, 934/3, 934/4 कुल किता 04 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिनिरक्षिक **बिजौलिया खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस ~~500~~ [illegible] /रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियाँ भीलवाड़ा)